झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

अपर मुख्य सचिव(ऊर्जा) का कार्यालय

दूरभाष संख्याः—0651—2490053, फैक्सः—0651—2491002

ई—मेलः—psec.energy@gmail.com

विज्ञापन संख्याः— 01/2025 दिनांकः— 28-01-2025

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—277, दिनांक—17.02.2022 तथा संकल्प संख्या—2169, दिनांक—31.12.2024 एवं अन्य सुसंगत संकल्प तथा अधिसूचना के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची तथा इसकी तीन अनुषंगी कंपनियों यथा झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची में निदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

नियुक्ति के पदों की अर्हता एवं अन्य शर्तें निम्न प्रकार है :—

क्रं॰	पदनाम	पदों की सं॰	योग्यता	उम्र	नियुक्ति की अवधि
1.	निदेशक(वित्त) झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि॰	01	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि॰ एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत उप महाप्रबंधक(वित्त) स्तर के पदाधिकारी जिन्होंने पाँच वर्षों की सेवा उप महाप्रबंधक(वित्त) के रूप में पूरी कर ली हों/ महाप्रबंधक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) तथा राज्य वित्त सेवा के संयुक्त आयुक्त से अन्यून पदाधिकारी एवं केंद्रीय वित्त सेवा के समकक्ष पदाधिकारी उक्त अर्हता धारक सेवानिवृत्त पदाधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक पात्र माने जाएगें।	अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो।
2.	निदेशक(वित्त) झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि0	01	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि॰ एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत उप महाप्रबंधक(वित्त) स्तर के पदाधिकारी जिन्होंने पाँच वर्षों की सेवा उप महाप्रबंधक(वित्त) के रूप में पूरी कर ली हों/ महाप्रबंधक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) तथा राज्य वित्त सेवा के संयुक्त आयुक्त से अन्यून पदाधिकारी एवं केंद्रीय वित्त सेवा के समकक्ष पदाधिकारी उक्त अर्हता धारक सेवानिवृत्त पदाधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक पात्र माने जाएगें।	अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो।
3	निदेशक(तकनीकी) झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि0	01	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि॰ एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत विद्युत अधीक्षण अभियंता(समकक्ष अभियंता) स्तर के पदाधिकारी जो इस पद पर न्यूनतम दो वर्षों की सेवा पूर्ण किये हों/ महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक(कार्यरत/सेवानिवृत्त)। उक्त अर्हता धारक सेवानिवृत्त पदाधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक पात्र माने जाएगें।	अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो।

4	निदेशक(परियोजना) झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि0	01	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत विद्युत अधीक्षण अभियंता(समकक्ष अभियंता) स्तर के पदाधिकारी जो इस पद पर न्यूनतम दो वर्षों की सेवा पूर्ण किये हों/ महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक(कार्यरत/सेवानिवृत्त)। उक्त अर्हता धारक सेवानिवृत्त पदाधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक पात्र माने जाएगें।	अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो।
5.	निदेशक(वित्त) झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि॰	01	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत उप महाप्रबंधक(वित्त) स्तर के पदाधिकारी जिन्होंने पाँच वर्षों की सेवा उप महाप्रबंधक(वित्त) के रूप में पूरी कर ली हों/ महाप्रबंधक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) तथा राज्य वित्त सेवा के संयुक्त आयुक्त से अन्यून पदाधिकारी एवं केंद्रीय वित्त सेवा के समकक्ष पदाधिकारी उक्त अर्हता धारक सेवानिवृत्त पदाधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक पात्र माने जाएगें।	अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो।
6.	निदेशक(परियोजना) झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0	01	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत विद्युत अधीक्षण अभियंता(समकक्ष अभियंता) स्तर के पदाधिकारी जो इस पद पर न्यूनतम दो वर्षों की सेवा पूर्ण किये हों/ महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक(कार्यरत/सेवानिवृत्त)। उक्त अर्हता धारक सेवानिवृत्त पदाधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक पात्र माने जाएगें।	अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो।
7.	निदेशक(संचालन) झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0	01	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत विद्युत अधीक्षण अभियंता(समकक्ष अभियंता) स्तर के पदाधिकारी जो इस पद पर न्यूनतम दो वर्षों की सेवा पूर्ण किये हों/ महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक(कार्यरत/सेवानिवृत्त)। उक्त अर्हता धारक सेवानिवृत्त पदाधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक पात्र माने जाएगें।	अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो।
8.	निदेशक(वित्त) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि॰	01	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत उप महाप्रबंधक(वित्त) स्तर के पदाधिकारी जिन्होंने पाँच वर्षों की सेवा उप महाप्रबंधक(वित्त) के रूप में पूरी कर ली हों/ महाप्रबंधक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) तथा राज्य वित्त सेवा के संयुक्त आयुक्त से अन्यून पदाधिकारी एवं केंद्रीय वित्त सेवा के समकक्ष पदाधिकारी उक्त अर्हता धारक सेवानिवृत्त पदाधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक पात्र माने जाएगें।	अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो।

9.	निदेशक(वितरण एवं परियोजना) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०	01	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत विद्युत अधीक्षण अभियंता(समकक्ष अभियंता) स्तर के पदाधिकारी जो इस पद पर न्यूनतम दो वर्षों की सेवा पूर्ण किये हों/ महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक(कार्यरत/सेवानिवृत्त)। उक्त अर्हता धारक सेवानिवृत्त पदाधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्षों तक पात्र माने जाएगें।	अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो।

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन विहित प्रपत्र में जिसमें उम्मीदवार का नाम, पता, जन्म तिथि, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वर्तमान/पूर्व पद/पदों का विवरण, अंतिम निकासी वेतन तथा विगत पाँच वर्षों की गोपनीय चारित्री/निगरानी/लोकायुक्त स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रासंगिक कागजातों की प्रमाणित प्रतियाँ जो झारखण्ड सरकार के पोर्टल www.jharkhand.gov.in पर Advertisement भाग में मौजूद निर्धारित स्वरूप में हो, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), झारखण्ड सरकार के निम्न पते पर स्पीडपोस्ट के माध्यम से दिनांक–21.02.2025 के अप० 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। पदों के संबंध में विस्तृत विवरण उपर अंकित पोर्टल पर देखा जा सकता है।

आवेदन भेजने का पताः– अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन परिसर, धूर्वा, राँची–834004

20/1/25

संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार

Affix photograph duly attested by the controlling officer/HOD/any Gazetted Officer

52

ANNEXURE
APPLICATION FORM

1. Name of the post applied for:____________________
2. (a) Name ____________________
   (b) Designation of the Applicant (in full) ____________________
   (c)Office Address:____________________
3. Address for communication____________________
4. Telephone No: Office ________ Residence__________FAX No._______
   Mobile No:________________Email address________________
5. Date of Birth______________Age as on last date of receipt of application_______
6. Eligibility criteria:

Sl. No.	Educational/ professional As per advertisement Possessed by the Candidate
1	
2	
3	
4	
5	

7. Positions held during the presceding years (as per the requirement of post applied):-

Sl. No.	Designation, And place of posting	Organization	From	To	Nature of Work/Duties attended	Pay Scale
1						
2						
3						
4						
5						

8. Nature and duration of experience **relevant** for the advertised post and job description:

Sl. No	Designation, And place of posting	Organization	From	To	Nature of Work/Duties
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Note: 1. You may attach a write up, if you wish, not exceeding two pages, in support of your candidature.

2. Full form of all abbreviations used while making entries in the application form should be suitably explained i.e. in footnotes or separate attachment.

9. In case the candidate is holding the present post on lien/deputation basis:-

a) Name of the organization in which the lien is held-

b) The date from which the lien is held-

c) Date from which candidate is on deputation-

10.(a)Whether any punishment awarded to the applicant during the last 10 Years

Yes	No

If yes, the details thereof

10.(b) Whether any action or inquiry is going on against him as far as his knowledge goes.

Yes	No

If yes, the details thereof

CERTIFICATE

I certify that the details furnished by me in Cols.1to10 are true and I am eligible for the post.
(Name and Signature of the applicant)

Date:

(Name and Signature of the applicant)

(To be filled by the PSU/Ministry/Department concerned)

It is Certified that the particulars furnished above have been scrutinized and found to be correct as per official records.

Signature & Designation of
the Competent Forwarding
Authority with Telephone no. & office Seal.

Note:
Self Attested copy of documentary proof for qualification and experience should be submitted along with application.

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग
अपर मुख्य सचिव(ऊर्जा) का कार्यालय
दूरभाष संख्या:—0651—2490053, फैक्स:—0651—2491002
ई—मेल:—**psec.energy@gmail.com**

पत्रांक 134 दिनांक 28.01.2025

आवश्यक सूचना

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची में निदेशक(वित्त), निदेशक(तकनीकी), निदेशक(परियोजना), निदेशक(संचालन) तथा निदेशक(वितरण एवं परियोजना) के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या—01 / 2025, दिनांक—28.01.2025 प्रकाशित किया गया है। आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 21.02.2025 को अप० 05:00 बजे है।

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन विहित प्रपत्र में उक्त निर्धारित तिथि तक अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन परिसर, धूर्वा, राँची—834004 पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित कर सकते हैं। विज्ञापन, आवेदन का फार्म एवं अन्य सूचना झारखण्ड सरकार के पोर्टल www.jharkhand.gov.in पर Advertisement भाग में उपलब्ध है।

28/1/25

संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग,
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग
संकल्प

संकल्प सं०–1 / बोर्ड–01–ऊर्जा–26 / 2013(खण्ड)–277 / राँची, दिनांकः–17/02/2022

विषय :– झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी तीन कम्पनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के संबंध में।

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–1 / बोर्ड–01–ऊर्जा–26 / 2013(खण्ड)–2164, दिनांक–24.05.2015 के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में खुली स्पर्धा से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक के विभिन्न पदों को भरे जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड / अहर्त्ता / प्रक्रिया, विभिन्न स्तर पर आये संशोधनों के प्रस्ताव तथा इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं लिये जाने की परिस्थिति एवं इसको अंतिम रूप दिये जाने में कुछ समय लगने की स्थिति को देखते हुए तथा कॉरपोरेट शासन प्रणाली के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल जबतक कि उक्त सभी पदों को भरे जाने के लिए नये सिरे से अंतिम नियामवली तय नहीं की जाती है, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० तथा इसकी तीन अनुषंगी कंपनियों यथा झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के निदेशक मण्डल का गठन निम्नरूपेण किया जाता हैः–

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०	
(क) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार
(ख) कार्यात्मक निदेशक (Functional Director)	(i) निदेशक(मानव संसाधन) (ii) निदेशक(वित्त)
(ग) अकार्यात्मक निदेशक (Non-Functional Director)	राज्य सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि (i) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(अपर सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (ii) ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (iii) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० (iv) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि० (v) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०
(घ) स्वतंत्र निदेशक	अधिकतम तीन व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जायेगा।

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०	
(क) अध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार
(ख) कार्यात्मक निदेशक	(i) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०

	(ii) निदेशक(तकनीकी) (iii) निदेशक(वित्त) (iv) निदेशक(परियोजना)
(ग) अकार्यात्मक निदेशक	राज्य सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि (i) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (ii) ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (iii) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० (iv) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०
(घ) स्वतंत्र निदेशक	अधिकतम तीन व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जायेगा।

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०	
(क) अध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार
(ख) कार्यात्मक निदेशक	(i) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० (ii) निदेशक(संचालन) (iii) निदेशक(वित्त) (iv) निदेशक(परियोजना)
(ग) अकार्यात्मक निदेशक	राज्य सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि (i) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (ii) ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (iii) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० (iv) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०
(घ) स्वतंत्र निदेशक	अधिकतम तीन व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जायेगा।

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०	
(क) अध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार
(ख) कार्यात्मक निदेशक	(i) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० (ii) निदेशक(वितरण एवं परियोजना) (iii) निदेशक(वित्त) (iv) निदेशक(वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा)
(ग) अकार्यात्मक निदेशक	राज्य सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि (i) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (ii) ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से

	अन्यून पदाधिकारी) (iii) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० (iv) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०
(घ) स्वतंत्र निदेशक	अधिकतम तीन व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जायेगा।

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार/वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार यथा सम्भव एक महिला पदाधिकारी जो अहर्त्ता पूरी करती हों, को निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर प्राथमिकता देगी। महिला पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रशासी विभाग स्वतंत्र निदेशक के रूप में महिला निदेशक को रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का आदेश प्राप्त करेगी।

2. प्रबंध निदेशक/अकार्यात्मक/कार्यात्मक/स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति – उपरोक्त कंडिका–1 के आलोक में जबतक विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया/अहर्त्ता निर्धारित नही होती है तब तक इन पदों पर नियुक्ति करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:–

(i) प्रबंध निदेशक – भारतीय प्रशासनिक सेवा(IAS)/भारतीय वन सेवा(IFS) /केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों तथा राज्य अभियंत्रण सेवा/तत्कालीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके तीन अनुषंगी कंपनियों सहित के नियमित प्रोन्नत महाप्रबंधक स्तर से अन्यून पदाधिकारी(जो विद्युत प्रक्षेत्र में कार्य अनुभव रखते हों) को सरकार सीधे नियुक्त कर सकेगी।

(ii) निदेशक(मानव संसाधन) – अखिल भारतीय सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जो उप सचिव/संयुक्त सचिव(क्रमशः) से अन्यून होंगे, को राज्य सरकार नियुक्त कर सकेगी।

(iii) निदेशक(वित्त) – झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत उप महाप्रबंधक(वित्त) स्तर के पदाधिकारी जिन्होंने पाँच वर्षों की सेवा उप महाप्रबंधक(वित्त) के रूप में पूरी कर ली हों/महाप्रबंधक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) तथा राज्य वित्त सेवा के संयुक्त आयुक्त से अन्यून पदाधिकारी एवं केन्द्रीय वित्त सेवा के समकक्ष पदाधिकारी पात्र होंगे। सेवानिवृत्ति की स्थिति में, सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्षों तक पात्रता की अवधि मानी जाएगी।

(iv) अन्य कार्यात्मक निदेशक यथा निदेशक(तकनीकी/परियोजना/संचालन/वितरण एवं परियोजना/वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा) – इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत विद्युत अधीक्षण अभियंता(समकक्ष अभियंता) स्तर के पदाधिकारी जो इस पद पर न्यूनतम दो वर्षों की सेवा पूर्ण किये हों/महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक(कार्यरत/सेवानिवृत्त) पात्र होंगे। सेवानिवृत्ति की स्थिति में, सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्षों तक पात्र माने जायेंगे। अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, को सरकार सीधे नियुक्त कर सकेगी।

(v) स्वतंत्र निदेशक – कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अंतर्गत झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में आवश्यकतानुसार राज्य सरकार स्वतंत्र

निदेशक की नियुक्ति कर सकेगी। स्वतंत्र निदेशक को आर्थिक भत्ता के रूप में मात्र बो
बैठक में भाग लेने हेतु सीटिंग शुल्क, जो संबंधित निगम के निदेशक मंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, देय होगा।

(vi) उक्त कंडिकाओं (ii), (iii), (iv) एवं (v) में वर्णित पदों पर नियुक्ति के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून) सदस्य होंगे। यह समिति उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त कर सुयोग्य पात्रों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक पद के लिए तीन नामों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगी। इस अनुशंसा के क्रम में निम्न Parameters of Recommendation का ध्यान रखा जायेगा:–

"Outstanding merit, competence, absolute intergrity and specific suitability for the post".

(vii) अध्यक्ष/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार पदेन अध्यक्ष/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक होंगे।

(viii) अन्य अकार्यात्मक निदेशक :– संबंधित विभाग(ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार) के द्वारा अन्य अकार्यात्मक निदेशक के रूप में नामित/प्राधिकृत किया जाएगा।

(ix) उक्त कंडिकाओं (ii), (iii), (iv) एवं (v) में वर्णित पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा अधिकतम दो वर्षों के लिए अथवा पूर्व की संकल्प/अधिसूचना में वांछित संशोधनोपरांत बनने वाली अंतिम नियामवली के आधार पर नियुक्ति नहीं हो जाती है, जो भी पहले हो, होगी।

3. प्रबंध निदेशक/अकार्यात्मक/कार्यात्मक/स्वतंत्र निदेशक को पद से हटाने की प्रकियाः–

(क) अन्य अकार्यात्मक निदेशक :– संबंधित विभाग(ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड) के द्वारा कंपनी हित में पदमुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक/स्वतंत्र निदेशकः– इन पदों के पदधारकों को सकल कदाचार/गबन/ कंपनी के हितों के विरूद्ध आचरण/ कपंनी के आर्थिक हितों के आलोक में अध्यक्ष/ अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के द्वारा कृत कारण सहित अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा तत्काल प्रभाव से पदच्यूत किया जा सकेगा।

4. कार्यात्मक निदेशक का वेतनमानः– इन पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों को वेतन संरक्षण(Pay Protection) का लाभ दिया जाएगा। साथ ही सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मामलों में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के नियम प्रभावी होंगे।

5. इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों यथा; झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में पदस्थापित/नियुक्त, अध्यक्ष/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक की व्यवस्था इस संकल्प से प्रभावित नहीं होंगी।

6. झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों यथा; झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड

A-72

बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल के पुनर्गठन एवं इन कंपनियों में कार्यात्मक निदेशक(Functional Director) एवं गैर कार्यात्मक निदेशक(Non Functional Director) की नियुक्ति के संबंध में पूर्व के निर्गत सभी संकल्प/अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

तदनुसार झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों के ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन(AoA)/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन(MoA) में आवश्यक संशोधन करने की कार्रवाई ऊर्जा विभाग द्वारा की जाएगी।

उक्त कंडिका–1 से 6 पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–10.02.2022 को मद सं०–65 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आगामी झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के ओदश से,

ह०/–

(अविनाश कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/बोर्ड–01–ऊर्जा–26/2013(खण्ड)–................../ राँची, दिनांकः–......................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राज्य के गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी ई–गजट, ऊर्जा विभाग, राँची को ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/बोर्ड–01–ऊर्जा–26/2013(खण्ड)–277/ राँची, दिनांकः–17/02/2022

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/22

सरकार के प्रधान सचिव।

489

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग
संकल्प

संकल्प सं०–ई–8/ऊ०वि० बोर्ड–12/21(खण्ड– I)–2169/ रॉंची, दिनांक:–31.12.2024

विषय :– झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 2164, दिनांक–24.05.2015 के द्वारा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों यथा झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/ निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु मापदण्ड/अहर्त्ता/प्रकिया इत्यादि का निर्धारण किया गया है। इन निगमों में कॉरपोरेट शासन प्रणाली के सिद्धांतों को शामिल करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–277, दिनांक–17.02.2022 द्वारा इन निगमों के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन किया गया।

2. उक्त संकल्प में निगमों में निदेशक(वित्त/ तकनीकी/ परियोजना/संचालन/वितरण/वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा इत्यादि) के पदों पर नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/उम्मीदवारों की स्थिति में, सेवानिवृत्ति की तिथि से दो(02) वर्षों तक पात्रता मान्य होने का प्रावधान किया गया है।

विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण इत्यादि से संबंधित कार्य तकनीकी प्रकृति के होते हैं तथा इसके सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन तथा प्रबंधन हेतु विशिष्ट पेशेवर विशेषज्ञों(professional experts) की आवश्यकता पड़ती है। इस दृष्टिकोण से अन्य विशिष्ट सेवाओं यथा शिक्षण सेवा, मेडिकल सेवा इत्यादि की भाँति विद्युत क्षेत्र के शीर्ष पदों पर भी नियुक्ति हेतु वर्तमान आयु सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उल्लेखनीय है कि कम्पनी अधिनियम 2013 में भी निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष का प्रावधान किया गया है।

3. उपर्युक्त कंडिका–2 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–277, दिनांक–17.02.2022 में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों यथा झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० में निदेशकों(वित्त/ तकनीकी/परियोजना/संचालन/वितरण/वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा इत्यादि) के पदों पर नियुक्ति पात्रता हेतु सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/उम्मीदवारों की उम्र सीमा पैंसठ(65) वर्ष किया जाता है। इन निगमों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन एवं कार्यात्मक निदेशक(Functional Director) एवं गैर कार्यात्मक निदेशक(Non Functional Director) की नियुक्ति के संबंध में पूर्व के निर्गत सभी संकल्प/अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है। इस संशोधन के उपरांत निदेशकों की यथाशीघ्र नियुक्ति हेतु विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में समय लगने को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय संकल्प

संख्या–277, दिनांक–17.02.2022 सहपठित संकल्प संख्या–1425, दिनांक–26.07.2024 के आलोक में उक्त चारों निगमों में नियुक्त निम्नांकित निदेशकों को दिनांक–31.03.2025 तक अथवा नये निदशकों की नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, अपने पद पर यथावत बने रहेंगेः–

कम्पनी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन
झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०	निदेशक(मानव संसाधन)	श्री सुनील दत्त खाखा(अतिरिक्त प्रभार में) (मूल पदस्थापन महाप्रबंधक (का० एवं सा० प्र०), झा०ऊ०वि०नि०लि०)
झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०	निदेशक(वित्त)	श्री मधुप कुमार
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०	1. निदेशक(वित्त)	श्री अमित बनर्जी
	2. निदेशक(परियोजना)	श्री मनोज कुमार करमाली
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०	1. निदेशक(वित्त)	श्री थेओफिल कुल्लू
	2.निदेशक(वितरण एवं परियोजना)	श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा(अतिरिक्त प्रभार में) (मूल नियुक्ति प्रबंध निदेशक, झा०ऊ०सं०नि०लि०)

उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आगामी झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के ओदश से,

31/12/24

(अविनाश कुमार)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– ई–8/ऊ०वि० बोर्ड–12/21(खण्ड–I)–2169/ राँची, दिनांकः–31.12.2024

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राज्य के गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी ई–गजट, ऊर्जा विभाग, राँची को ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31/12/24

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– ई–8/ऊ०वि० बोर्ड–12/21(खण्ड–I)–2169/ राँची, दिनांकः–31.12.2024

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– ई–8/ऊ०वि० बोर्ड–12/21(खण्ड– I)–2169/ राँची, दिनांकः–31.12.2024

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०/झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/12/24

सरकार के अपर मुख्य सचिव।